14-7-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी जयन्तिलाल माली पुत्र कस्तूर माली, जाति– माली, निवासी– बस स्टेण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, पूर्णिमा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी जयन्तिलाल माली ने आज लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.3.2021 को मेरी फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा ज़िस तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट के

.......लगातार

जयन्तिलाल
14/07

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2021	नम्बर व तारिख अ. म जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

अनुसार मिसब्राण्डेड पाया गया है। मैनें जिस हॉलसेलर, सरुपगंज से उक्त दाल बिक्री हेतु प्राप्त की थी, उसने दाल का बिल न तो ब्राण्ड के नाम से दिया और न ही अपने फर्म के नाम से दिया था। मैनें उस हॉलसेलर से अब बिक्री हेतु माल लेना बन्द कर दिया है। मैनें अब बिल में वस्तु के ब्राण्ड का नाम अंकित कराना शुरु कर दिया है। मैनें नया नया काम शुरु किया था, अनुभवहीनता के कारण यह गलती हो गई है। मैं अपनी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नही करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है, इसको माफ करते हुए प्रकरण को समाप्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी जयन्तिलाल माली द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से इस प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 14.7.2021 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी जयन्तिलाल माली की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी जयन्तिलाल माली ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.3.2021 को समय 1.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म पूर्णिमा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी जयन्तिलाल माली पुत्र श्री करतूरमल माली, जाति– माली, निवासी– बस स्टेण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता जयन्तिलाल माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) के 2 सील्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से एक बैग ... अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप ... खाद्य

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

...., जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए

पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखे खाली भिगोनें में खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 442/– (रुपये चार सौ बियालीस मात्र) विक्रेता जयन्तिलाल माली को नकद अदा कर खरीर रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता जयन्तिलाल व गवाहान को चार साफ सूखे, खाली जार दिखाकर खरीद शुदा तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं इन चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा मौके पर लेबल तैयार कर चारों प्लास्टिक जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक जार के साथ नमूने का मूल लेबल लगाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1380 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./235/Act/ 2021/333 दिनांक 06.4. 2021 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जयन्तिलाल माली ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण के अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ तुअर दाल के जिस बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की है, वह सादे कागज पर बना हुआ कच्चा बिल है, जिस पर सप्लायर/हॉलसेलर फर्म का नाम व पता अंकित नही है तथा न ही प्रतिवादी जयन्तिलाल की फर्म का पूरा पता उक्त बिल पर अंकित है। बिल पर तुअर दाल की ब्राण्ड का नाम भी अंकित नही है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जयन्तिलाल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तुअर दाल (गजराज ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी जयन्तिलाल माली पुत्र श्री कस्तूमल माली, जाति– माली, निवासी– बस स्टेण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, पूर्णिमा सुपर मार्केट, बस स्टैण्ड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 8,000 (रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी जयन्तिलाल माली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.41/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.8.2021 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested